# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
## (पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/76 दायरा दिनांक : 14.06.2024

**उनवान**

भैरूदास आत्मज मोतीदास, आयु 64 वर्ष, जाति बैरागी, निवासी भिलवाड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... अपीलांट

**बनाम**

1– बृजमोहन आत्मज कन्हैयालाल, जाति देवड़ा नाई, निवासी झालावाड़ मृतक द्वारा विधिक वारिसान :–

1/1– दिलीप आत्मज बृजमोहन, जाति देवड़ा नाई, निवासी धानमण्डी, झालावाड़ (राजस्थान)

1/2– उषा पुत्री बृजमोहन पत्नी शंकरलाल, जाति देवड़ा नाई, निवासी मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

1/3– कुमुद पुत्री बृजमोहन पत्नी अशोक सेन, निवासी जीरापुर, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)

1/4– वन्दना पुत्री बृजमोहन पत्नी चन्द्रभान वर्मा, निवासी बोरखेड़ा बारां रोड़, जिला कोटा (राजस्थान)

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मनोज शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** दिनांक : 06.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 722/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 15, 19, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भिलवाड़ा, पटवार हल्का

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भिलवाड़ा खाता संख्या नया 187 खाता संख्या पुराना 154 खसरा नं. 315 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 316 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2024 से वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक वादग्रस्त आराजी पर वादी के पिता का कब्जा काश्त 2012 से पूर्व से चले आने से नामान्तरकरण सं. 191 से उन्हें खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में हुई तब से वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त निर्विरोध रूप से चला आ रहा है ?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक वादी विवादग्रस्त आराजी के संबंध में नामान्तरकरण सं. 191 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.1997 के आलोक में वादी एवं उसके पिता के कब्जे काश्त के आधार पर वादी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15 व 19 के तहत खातेदारी घोषित कराने का पात्र है ?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं होने से वाद वादी चलने योग्य नहीं है एवं मियाद बाहर है ?

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था जिसने अपने बयानों दस्तावेजी साक्ष्य में नामान्तरकरण सं. 191 को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्श करवाया व इसकी निरन्तरता में अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2030–2049 जिसमें वादी का नाम खातेदारी में दर्ज है, प्रदर्श 3 नकल नामान्तरकरण सं. 139 जिस आदेश से दर्ज है, प्रदर्श 3 नकल नामान्तरकरण सं. 139 जिस आदेश से दर्ज हुआ है उसे प्रदर्श 4 निर्णय व प्रदर्श 10 निर्णयों से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय से अपास्त कर दिया था। प्रदर्श 5 लगायत 9 विद्युत बिल वादी के पिता के नाम से है, को प्रदर्शित करवाया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक वादी प्रतिवादी सं. 1 को उसकी खातेदारी से बेदखल करने की धमकी दे रहा है, इस कारण वादी के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 स्थायी निषेधाज्ञा पाने का पात्र है ? इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर है।

प्रतिवादी सं. 1 का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, न ही साबित ही हुआ है, जब प्रतिवादी सं. 1 का दखल ही नहीं है व वादी का दखल है

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिसे वादग्रस्त आराजी में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करने का निर्णय दिया है, जो सही नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2024 अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता का कब्जा 1955 से मानकर सरकार द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। तब से निरंतर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। मा0 संभागीय आयुक्त कोटा न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.1997 के निर्णय की पालना राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी। सन् 1997 के पश्चात् आज तक रेस्पोडेंटगण ने खातेदारी अधिकारों हेतु कहीं वाद पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में हुए बयान व जिरह में अपीलांट का कब्जा साबित है। रेस्पोडेंटगण का कभी उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है। रेस्पोडेंटगण द्वारा सम्पति बेच कर मा0 संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय की अवहेलना की है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये। अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2024(1) पेज 25, आर.आर.टी. 2024(1) पेज 626, राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 धारा 13 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया तनकीवार निर्णय सही है। 1944 में जमीन हमें दरबार ने दी है। उपखण्ड अधिकारी के दोनों निर्णय हमारे पक्ष में हुए है। मा0 संभागीय आयुक्त कोटा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी अपीलांट का खातेदारी अधिकार नहीं माना है। 21 वर्ष पश्चात् वाद पेश करना विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा सन् 1997 से 2018 तक कोई कार्यवाही नही की है। किसी भी कोर्ट ने हमारी खातेदारी समाप्त नहीं की है। आराजी क्रय करने वाले को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण में पूर्व में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का विश्लेषण किया जाना हम उचित समझते हैं।

(ममता कुमारी तिवारी) 6/8/2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सन् 1961 के नामान्तरकरण सं. 191 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा टिप्पणी की गई कि मोतीदास का कब्जा आज तक संवत 2012 से है और इसी आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एवं 19 के आधार पर वादी अपीलांट के पिता के नाम विवादित आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। अतः उक्त नामान्तरकरण सं. 191 संवत 2012 से कब्जे के आधार पर खोला जाना प्रकट होता है।

नामान्तरकरण सं. 191 की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप–जिलाधीश, झालावाड़ में की गई, जिसका निर्णय करते हुये दिनांक 11.10.1982 के द्वारा नामान्तरकरण सं. 191 निरस्त कर बृजमोहन देवड़ा रेस्पोडेंट कम 1/1 से 1/4 के पिता के खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये, जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं. 139 दिनांक 13.10.1982 दर्ज किया गया।

तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के निर्णय दिनांक 11.10.1982 के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा के न्यायालय में अपील पेश होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.1988 को न्यायालय उप–जिलाधीश, झालावाड़ का आदेश दिनांक 11.10.1982 निरस्त किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा के उक्त निर्णय से दिनांक 11.10.1982 के निर्णय अनुसार दर्ज नामान्तरकरण सं. 139 भी स्वतः निरस्त होना प्रकट होता है क्योंकि जिस निर्णय दिनांक 11.10.1982 से नामान्तरकरण सं. 139 दर्ज हुआ, जब वह निर्णय निरस्त हो चुका था तो वह नामान्तरकरण भी स्वतः निरस्त होना था। लेकिन राजस्व अधिकारियों के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां दुरूस्त नहीं करने से नामान्तरकरण सं. 191 पुनः राजस्व रिकॉर्ड में प्रभाव में नहीं आना प्रकट होता है।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा नामान्तरकरण सं. 191 पुनः निरस्त किया गया तथा तहसीलदार को आदेशित किया गया कि उत्तराधिकार के आधार पर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें। कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर eschesat एक्ट के तहत कार्यवाही की जावें।

उक्त आदेश की अनुपालना में पुनः नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया। नामान्तरकरण सं. 139 माननीय संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय से निरस्त करने के पश्चात भी राजस्व रिकॉर्ड में अनवरत चलने से नामान्तरकरण पुनः तस्दीक नहीं किया गया, ना ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार उत्तराधिकार के संबंध में जांच की गयी।

तत्पश्चात् 13.02.1992 के निर्णय की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के न्यायालय में होने पर माननीय न्यायालय द्वारा 23.09.1997 को निर्णय किया गया, जिसकी अपील रेस्पोडेंट द्वारा नहीं की गई।

6/11/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा लिखा गया "तहसीलदार झालरापाटन द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15.10.1955 के लागू होने के उपरान्त अधिनियम की धारा 15 एवं 19 के तहत विवादित भूमि का इंतकाल अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया था क्योंकि अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज था। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं होते। जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत की गई कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती। रेस्पोडेंट सक्षम न्यायालय से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है एवं अपने अधिकारों की घोषणा करा सकता है। नामान्तरकरण सं. 191 वाके ग्राम भिलवाड़ा, तहसील झालरापाटन में "तनाजा" शब्द अंकित किया जावें। पक्षकार उक्त विवादित भूमि का हस्तान्तरण एवं विक्रय नहीं करेगें। परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप–जिला कलक्टर, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 13.02.1992 निरस्त किया जाता है।"

माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय का विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित भूमि पर 1955 में काबिज माना गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी लिखा गया कि जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत की गई कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलांट को उक्त विवादित भूमि जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत रेस्पोडेंट के नाना श्रीनाथ पासवान के जागीरदारी अधिकार समाप्त होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रारम्भ के समय अपीलांट का कब्जा होने के आधार पर दी गयी। उक्त निर्णय में नामान्तरकरण सं. 191 में "तनाजा" शब्द अंकित करने का निर्देश दिया गया अर्थात माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्टतः नामान्तरकरण सं. 191 को बहाल किया गया। उक्त निर्णय में रेस्पोडेंट हेतु लिखा गया कि यदि वह चाहे तो सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने हेतु स्वतंत्र है अर्थात माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.1997 से नामान्तरकरण सं. 191 को बहाल करते हुये रेस्पोडेंट के खातेदारी अधिकारों का समापन किया गया।

उक्त निर्णय से उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ का 13.02.1992 का निर्णय निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां दुरूस्त नहीं की गयी।

अपील मीमों के अनुसार दिनांक 14.12.2015 को हल्का पटवारी द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक 23.09.1997 के निर्णय की पालना में असमर्थता व्यक्त करने से अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(ममता कुमारी तिवारी)
6/8/2021
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा

प्रस्तुत प्रकरण में समस्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नं. 1 – आया वादग्रस्त आराजी पर वादी के पिता का कब्जा काश्त 2012 से पूर्व चले आने से नामान्तरकरण सं. 191 से उन्हें खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत प्रविष्ट में राजस्व अभिलेख में हुई तब से वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त निर्विरोध रूप से चला आ रहा है। ..... वादी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के निर्णय दिनांक 11.10.1982 के द्वारा नामान्तरकरण सं. 191 को निरस्त करने एवं तहसीलदार, झालरापाटन के द्वारा नामान्तरकरण सं. 139 तस्दीक करने के आधार पर प्रतिवादी का नाम जमाबंदी संवत 2072–2075 में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होने से वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के निर्णय दिनांक 11.10.1982 एवं नामान्तरकरण सं. 139 के आधार पर रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर तय की, जो नितान्त त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है।

ऊपर वर्णित विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों की विवेचना से यह स्पष्टतः प्रकट है कि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा दिनांक 26.09.1988 के निर्णय से दिनांक 11.10.1982 का निर्णय निरस्त किया जा चुका है तथा नामान्तरकरण सं. 139 उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के निर्णय दिनांक 11.10.1982 की अनुपालना में खुलने से यह नामान्तरकरण भी स्वतः निरस्त की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2024 के फैसले में तनकी सं. 1 का निर्णय दिनांक 11.10.1982 के निरस्त निर्णय के आधार पर करना विधि विरूद्ध प्रकट होता है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी अपीलांट द्वारा पेश नामान्तरकरण सं. 191 से प्रकट होता है कि उक्त नामान्तरकरण में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गयी कि मोतीदास का कब्जा संवत 2012 से आज तक है। आई. एल.आर. द्वारा भी उक्त अंकन ठीक होना प्रकट किया तथा तत्पश्चात् इसी कब्जे के आधार पर अपीलांट के पिता को श्रीनाथ पासवान की जगह खातेदारी दी गयी। उक्तानुसार अपीलांट के पिता का कब्जा 1955 से होना प्रकट होता है। दिनांक 16.10.1982 के नामान्तरकरण सं. 139 से रेस्पोडेंट के पिता का नाम दर्ज हुआ लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे रेस्पोडेंट के पिता को विवादित भूमि पर दखल देना प्रकट हो। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की साक्ष्य जिरह का भी अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा कब्जे बाबत बिजली के बिल पेश किये गये हैं। अपीलांट द्वारा अपील

(ममता कुमारी शिवारी) 1/8/2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के साथ प्रस्तुत सहमति पत्र भंवरलाल एवं रामकुमार आ0 मोतीदास, अवंती बाई, मंजू बाई, संतोष बाई एवं सुमित्रा पुत्रियां मोतीदास से प्रकट होता है कि विवादित आराजी पर मोतीदास की मृत्यु उपरान्त अपीलांट का कब्जा काश्त है। उक्त सभी के कथन से अपीलांट का उक्त आराजी पारिवारिक समझौते में प्राप्त होना एवं तत्पश्चात् निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है।

रेस्पोडेंट कम 1 दिलीप देवड़ा की जिरह का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट को जमीन की चारों दिशाओं में पड़ोसी काश्तकारों की जानकारी नहीं है। रेस्पोडेंट कम 1/1 द्वारा जिरह में यह कथन किया गया है कि "पिता की मृत्यु को चार साल हो गए, मेरे द्वारा किसी व्यक्ति से ना तो काश्त करवायी, ना ही काश्त की गई।"

रेस्पोडेंट उषा सेन 1/2 द्वारा जिरह में कथन किया कि "भिलवाड़ा गांव के किस दिशा में खेत है मुझे पता नहीं लेकिन मैं जानती हूं। मैं वर्ष 2022 में खेत पर गई थी। भिलवाड़ा से कितने किलोमीटर दूर है मुझे पता नहीं। सड़क से कितनी दूर है मुझे पता नहीं। मैंने यह जमीन किससे हकवायी नाम, पता मुझे पता नहीं।"

रेस्पोडेंट कुमुद 1/3 की जिरह के अनुसार "मुझे खेत की चारों दिशाओं में स्थित खेतों के खातेदार के नाम याद नहीं।"

रेस्पोडेंटगण की जिरह से विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है।

उक्तानुसार नामान्तरकरण सं. 191 एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बिजली के बिल, सहमति पत्र तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की जिरह से विवादित आराजी पर संवत 2012 से वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलांट का कब्जा काश्त होना सिद्ध होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया वादी विवादग्रस्त आराजी के संबंध में नामान्तरकरण सं. 191 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा के निर्णय दिनांक 23.09.1997 के आलोक में वादी एवं उसके पिता के कब्जे काश्त के आधार पर वादी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15 व 19 के तहत खातेदारी अधिकार घोषित कराने का पात्र है।

.... वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखा गया कि "माननीय संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय दिनांक 23.09.1997 की प्रति पेश की जिसमें माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा ने अपने निर्णय में रेस्पोडेंट सक्षम न्यायालय से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है एवं अपने अधिकारों की घोषणा करा सकता है। नामान्तरकरण सं. 191 वाके ग्राम

(ममता कुमारी त्रिवेदी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भिलवाड़ा, तहसील झालरापाटन में "तनाजा" शब्द अंकित किया जावे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि विवादग्रस्त प्रश्नगत आराजी पक्षकार किसी भी तरह का हस्तान्तरण बेचान नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट है कि माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा ने अपने निर्णय में पूर्ण रूप से प्रतिवादी के अधिकार समाप्त नहीं किये हैं। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादी के विरूद्ध किया जाता है।"

इस तनकी का निर्णय माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा के निर्णय दिनांक 23.09.1997 एवं वादी एवं उसके पिता के कब्जे काश्त के आधार पर होना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी में लिखा गया कि माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा ने अपने निर्णय में पूर्ण रूप से प्रतिवादी के अधिकार समाप्त नहीं किये हैं। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादी के विरूद्ध किया जाता है।

दिनांक 23.09.1997 के माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा के निर्णय में सन् 1955 में अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा माना गया। " नामान्तरकरण सं. 191 वाके ग्राम भिलवाड़ा, तहसील झालरापाटन में "तनाजा" शब्द अंकित किया जावे।" इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं. 191 बहाल किया गया तथा उसमें "तनाजा" शब्द जोड़ने के निर्देश दिये गये। यह निर्णय भी दिया गया कि रेस्पोडेंट यदि चाहे तो खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में दायर कर सकता है अर्थात् रेस्पोडेंट के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये। वादी एवं उसके पिता का कब्जा काश्त वादी के हक में तनकी सं. 1 में निर्णित किया जा चुका है। अतः उक्तानुसार अपीलांट माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय दिनांक 23.09.1997 के आलोक में 1955 से निरन्तर काबिज काश्त होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं होने से वाद वादी चलने योग्य नहीं है एवं मियाद बाहर है। ......... प्रतिवादी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी यह लिखते हुए प्रतिवादी के हक में तय की गई कि सन् 1997 के बाद वर्ष 2018 में यानि 21 वर्ष पश्चात् वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं था। आराजी बृजमोहन के नाना को झालावाड़ दरबार द्वारा मुआफी में दी गई, जबकि वादी यह साबित नहीं कर पाये कि उक्त विवादित भूमि में आपका नाम कहां से आया।

दिनांक 23.09.1997 के निर्णय से स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण सं. 191 बहाल किया गया तथा उसमें "तनाजा" शब्द जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय में रेस्पोडेंट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। रेस्पोडेंट को यह स्वतंत्रता दी गई कि यदि वह चाहे तो सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद दायर कर सकता है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा इस निर्णय की अपील नहीं करने से यह अंतिम निर्णय था।

राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि नहीं करने से अपीलांट के पक्ष में निर्णय होते हुए भी वह पीड़ित पक्षकार बना रहा तथा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद लाना प्रकट होता है। विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु कोई मियाद नहीं लागू होती। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 4 – आया वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ..... प्रतिवादी

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 23.09.1997 के अनुसार नामान्तरकरण सं. 191 बहाल कर उसमें "तनाजा" शब्द जोड़ा जाना था। राजस्व अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय के बावजूद नामान्तरकरण सं. 191 बहाल नहीं किया जाने से वाद कारण उत्पन्न होना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 5 – आया वादी प्रतिवादी सं. 1 को उसकी खातेदारी आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहा है जिस कारण वादी के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 स्थायी निषेधाज्ञा पाने का पात्र है। .... प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। उक्त तनकी हेतु प्रतिवादी का कब्जा साबित होना प्रथम शर्त है। तनकी नं. 1 में वादी का कब्जा काश्त विवादित आराजी पर होना साबित होता है। विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होने से तथा प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कब्जा साबित नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1 स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं होने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 6 आया वाद को सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है।.. प्रतिवादी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का निर्णय करते हुए लिखा कि दिनांक 23.09.1997 में प्रश्नगत आराजी को विवादित मानते हुए "तनाजा" शब्द का प्रयोग किया है, जो पक्षकारों पर लागू होता है। अतः वादी का वाद सुनने के काबिल नहीं है। अतः इस तनकी का निर्णय भी प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

उक्त तनकी में अधीनस्थ न्यायालय ने "तनाजा" शब्द को विवादित का पर्याय मानकर वाद सुनने के काबिल नहीं माना जो अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.1997 के अनुसार "तनाजा" शब्द का अंकन करने के निर्देश दिये। पक्षकार उक्त विवादित भूमि का हस्तान्तरण एवं विक्रय नहीं करेंगे।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 23.09.1997 के निर्णय से माननीय न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण सं. 191 बहाल करने के पश्चात् भी अपीलांट को रेवन्यु रेकॉर्ड में खातेदार अंकित नहीं करने से अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषणा का दावा लाया गया जिसे सुनने की अधिकारिता निर्विवाद रूप से राजस्व न्यायालय के रूप में अधीनस्थ न्यायालय को है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 7 – अनुतोष

तनकी सं. 1 एवं 2 वादी के पक्ष में तय पायी जाती है तथा तनकी सं. 3, 4, 5, 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। तदनुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2024 निरस्त किया जाता है। अपीलांट को ग्राम भिलवाड़ा, पटवार हल्का भिलवाड़ा खाता संख्या नया 187 खाता संख्या पुराना 154 की आराजी खसरा नं. 315 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा पर खातेदार घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
**ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

भैरूदास आत्मज मोतीदास, आयु 64 वर्ष, जाति बैरागी, निवासी भिलवाड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
..अपीलांट

**बनाम**

1– बृजमोहन आत्मज कन्हैयालाल, जाति देवड़ा नाई, निवासी झालावाड़ मृतक द्वारा विधिक वारिसान :–
1/1– दिलीप आत्मज बृजमोहन, जाति देवड़ा नाई, निवासी धानमण्डी, झालावाड (राजस्थान)
1/2– उषा पुत्री बृजमोहन पत्नी शंकरलाल, जाति देवड़ा नाई, निवासी मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
1/3– कुमुद पुत्री बृजमोहन पत्नी अशोक सेन, निवासी जीरापुर, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)
1/4– वन्दना पुत्री बृजमोहन पत्नी चन्द्रभान वर्मा, निवासी बोरखेड़ा बारां रोड़, जिला कोटा (राजस्थान)
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
.... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2024/76**
मु.द.नं **722/2018**

व

नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़**
निर्णय एवं डिकी दिनांक – **05.06.2024**

## दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19** माह **07** सन् **2024**

हाजरी **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री मनोज शर्मा** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 05.06.2024 निरस्त किया जाता है। अपीलांट को ग्राम भिलवाड़ा, पटवार हल्का भिलवाड़ा खाता संख्या नया 187 खाता संख्या पुराना 154 की आराजी खसरा नं. 315 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा पर खातेदार घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06** माह **08** सन् **2024** को जारी किया गया ।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)

मोहर